

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अनुपयोगी/नकारा एवं कण्डम सामग्री यथा कुर्सी (केनिंग), साईड रैक, फैन, कुर्सी, टेबिल (लकड़ी), टेबल, अलमारी छोटी/बडी आदि जिनकी अनुमानित वसूलनीय राशि 1.17 लाख निर्धारित की गई है, का विस्तृत विवरण विभागीय वैबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp> तथा नीलामी सामान को आरयूआईडीपी, कार्यालय परिसर, जयपुर में देखा जा सकता है, का खुली बोली नीलामी द्वारा जहां है, जिस स्थिति में है, निस्तारण किया जाना है। नीलामी की कार्यवाही आरयूआईडीपी, कार्यालय परिसर, जयपुर में दिनांक 13.05.2024 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले को रूपये 20,000/- (अक्षरे रु बीस हजार मात्र) धरोहर राशि बोली लगाने से पूर्व जमा कराने होंगे।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता की धरोहर राशि रोक कर शेष जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
3. बोली समाप्त होते ही अधिकतम बोली लगाने वाले को अंतिम बोली की एक तिहाई राशि विभाग में तत्काल जमा करानी होगी तथा शेष सम्पूर्ण नीलामी राशि 03 दिवस में जमा करानी होगी।
4. अधिकतम बोली लगाने वाले को सामान जहां है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आवश्यक रूप से 03 दिवस में उठाना होगा। नीलामी पश्चात सामान की जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी, इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. जीएसटी/स्थानीय कर इत्यादि क्रेता द्वारा पृथक से जमा कराना होगा।
6. नीलामी के समय मोबाईल उपयोग निषेध है।
7. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी छोड़ने/ना छोड़ने का अधिकार नीलामी हेतु गठित कमेटी का होगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा.)

क्रमांक:एफ.1(19)आरयूआईडीपी/संस्था/पीएमयू/स्टोर/2024/973-983

दिनांक: 29.04.2024

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज., जयपुर को उपरोक्त नीलामी सूचना को स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु प्रेषित है।
2. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, अति. परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, वित्तीय सलाहकार, आरयूआईडीपी, जयपुर।
3. एसीपी, आरयूआईडीपी, जयपुर।
4. लेखा शाखा/कैशियर, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. समस्त सदस्य, नीलामी समिति, आरयूआईडीपी, जयपुर।
6. श्री मुकेश कुमार सैनी, सहायक परियोजना अधिकारी (मुख्यालय)
7. स्टोर कीपर, आरयूआईडीपी, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड /आरक्षी पत्रावली।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा.)